

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, लोहिडी


प्रकरण सं.:- 72/2018

दिनांक:- 06.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1345

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी भूका वागतसिंह व मू.अ.नि. भूका वागतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम डेरापाना तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 120 में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि नरसिंगराम पुत्र मंछाराम के स्थान पर नरसिंहराज पुत्र मंछाजी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 06.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1346-48

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नरसिंहराज पुत्र मंछाजी निवासी डेरापाना तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी